उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

रिट याचिका (S/S) संख्या. 1256 वर्ष 2008

पूर्व कांस्टेबल 55727 श्याम सिंह मेहरा (मृतक) अपने विधिक वारिसान के द्वारा

.....याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य .....

प्रत्यर्थी

अधिवक्तागण :

याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण : विद्वान अधिवक्ता श्री संजय भट्ट सहित विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश भट्ट

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण : श्री तेज सिंह बिष्ट, उप महाधिवक्ता

<u>सुधांशु धूलिया जे. (मौखिक)</u> :

यह याचिका मिस्टर श्याम सिंह मेहरा द्वारा दायर की गई थी, जो उत्तराखंड में पुलिस आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (यहां से उद्धरण के लिए "पीएसी") में कांस्टेबल थे और उन्हें आदेश दिनांकित 04.10.2005 द्वारा सेवा से निष्काषित किये जाने के दंड से दण्डित किया गया था। उनकी मृत्यु वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान हो गई है और उनकी पत्नी को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

2. वर्तमान में याचिकाकर्ता के पति PAC में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे और गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन वे गार्ड ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करे, बल्कि उन्हें उनके बिस्तर में मत्स्यायित अवस्था में पाया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनका चिकित्सीय परिक्षण करने वाले चिकित्सक ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी:

"श्री श्याम सिंह, आयु लगभग 42 वर्ष, श्री शिव राज सिंह के लाल,ठिकाना

रुद्रपुर, की जांच की गई।

तारीख 18/02/2005 को शाम 5:15 बजे, जे.एल.एन अस्पताल रुद्रपुर में।

मान्यता/विवरण - दाईं टांग पर पुराना घाव चिह्न।

सहायक - हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह।"

"46 PAC रुद्रपुर

O/E: मरीज सचेत हैं।

सांस लेने में मद्यसार हैं।

चाल मद्यसार है।

नाड़ी - 78/मिनट बीपी - 120/86 mmHg

पुतली आधी-खुली हुई और प्रतिक्रियाशील हैं।

भाषण - उच्चारण में अस्पष्टता है।

मतदान - उसने शराब के तरह की सामग्री का सेवन किया है, लेकिन वह

द्रव्यता के अधीन नहीं है।"

3. याचिकाकर्ता के पति को निम्नलिखित आरोप लगाया गया था:

आपकी ड्यूटी PAC क्वार्टर गार्ड ड्यूटी पर 18.02.2005 की शाम 4:00 बजे थी, लेकिन आप क्वार्टर गार्ड ड्यूटी से गैरहाजिर पाए गए थे और खोज के दौरान आपको अपने बिस्तर में मत्स्यायित हालत में पाया गया। चिकित्सा जांच के बाद, पुष्टि हुई कि आपने शराब का सेवन किया था।

4. प्रतिकर्मी के मुद्दे के समर्थन में बहुत से साक्षी उपस्थित थे। दंडित करवाई के दौरान कांस्टेबल ने स्वीकार किया कि उन्होंने एक "गलती" की है और उन्होंने यह अपील की कि उन्हें क्षमा की जाए। डॉक्टर आरएस कुंवर, जिन्होंने रुद्रपुर के जे.एल.एन अस्पताल में 5:15 बजे कांस्टेबल की जांच की थी, उसे गवाह के रूप में पेश किया गया और उन्होंने बयान दिया कि जब वह अस्पताल में ड्यूटी पर थे,

तब कांस्टेबल उनके सामने लाए गए थे, जिन्हें उन्होंने चिकित्सा जांच की थी और उन्हें मत्स्यायित हालत में पाया गया था और उस अनुसार उसने भी रिपोर्ट तैयार की थी। इस संबंध में एक साक्ष्य है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर अनुशासनहीन कांस्टेबल ने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं की थी और कारण था कि वह शराब के असर में था। दंडाधिकारी ने सजा देते समय अनुशासनहीन कांस्टेबल के पिछले रिकॉर्ड की भी जांच की थी और निष्कर्ष निकाला था कि उनके सेवा रिकॉर्ड में विपरीत प्रविष्टियाँ थीं और पहले भी मामले थे जब उन्होंने देर से ड्यूटी पर रिपोर्ट की थी और उनकी एक से अधिक बार अनुपस्थिति रही थी।

5. इन परिस्थितियों के तहत, दुर्भाग्यपूर्ण कांस्टेबल (याचिकाकर्ता के पति) को अनुशासनात्मक प्राधिकार द्वारा दंडित किया गया था, जिसमें सहायक कमांडेंट, पीएसी की रिपोर्ट के आधार पर 04.10.2005 की आदेश द्वारा सेवा से निकाल दिया गया था। नाराज, अनुशासनहीन कांस्टेबल ने पुलिस जनरल इंस्पेक्टर, पीएसी के सामान्य महाप्रबंधक के सामक्षिक अपील दायर की, जहां उन्हें कोई सहायता नहीं मिली और उनकी अपील को 02.03.2007 की आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।इसके बाद, उसने अतिरिक्त महानिदेशक जनरल ऑफ पुलिस, प्रशासन के सामक्षिक संशोधन दायर किया, जो भी आदेश दिनांक 30.08.2007 को खारिज कर दिया गया। नाराज, अनुशासनहीन कांस्टेबल ने वर्तमान लिखित याचिका इस न्यायलय के समक्ष दायर की।

6. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वर्तमान लिखित याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के पति का निधन हो गया था और उनकी पत्नी को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। याचिकाकर्ता के माननीय प्रतिवक्ता ने इस न्यायलय को भी सूचित किया है कि दोषी कर्मचारी के पीछे उसकी पत्नी और पांच बच्चे हैं। पांच बच्चों में से, प्रासंगिक समय पर, तीन बच्चे अवयस्क थे।

7. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना गया।

8. अनुशासनात्मक प्राधिकार द्वारा अपनाए गए प्रक्रिया के संबंध में, कोई त्रुटि नहीं पायी जा सकती है। अनुशासनहीन कर्मचारी को आरोप-पत्र की प्रति प्रदान की गई थी। उसे जांच अधिकारी ने परीक्षा किया और उसके बयानों को अंकित गया था, साथ ही साक्षीयों के बयान भी संग्रहित किए गए थे। अनुशासनहीन कर्मचारी को साक्षीयों से पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान किया गया था। वास्तव में, यहां एक अनुशासनहीन कर्मचारी की स्वीकृति है जहां उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं स्वीकार किया है कि उसे शराब के असर में था, लेकिन उसने कहा है कि उसने एक "गलती" की है और उसे क्षमा की जाए। इसलिए विभाग द्वारा अपनाए गए विभागीय प्रक्रिया पर त्रुटि नहीं की जा सकती है और अनुशासनहीन कांस्टेबल की दोष में विभाग द्वारा की गई फैसले को बनाए रखा जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण कर्मचारी ने निष्कर्षणशक्ति पर असर दिखाने वाली शराब के तहत कार्यभार पर रिपोर्ट नहीं की थी और इस तथ्य को व्यक्तिगत विचार में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया में प्रमाण के आधार पर निर्णय किया जा सकता है और इसलिए यह निष्कर्ष सही हैं।

9. प्रश्न केवल दंड की मात्रा अर्थात अनुपात के सम्बन्ध में है।

10. याचिकाकर्ता की सेवा शर्त का प्रबंध उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी अधीनस्थ रैंकों (दंडनीयता और अपील) नियम, 1991 द्वारा किया जाता है जो PAC के कांस्टेबलों के मामले में भी लागू होते हैं। नियम 4 दंडनीयता की परिभाषा को परिभाषित करता है, जो निम्नानुसार है:

> "**4. दंडनीयता :-**
>
> (1) निम्नलिखित दंडनीयताएं, अच्छी और पर्याप्त कारणों के लिए और जैसा इसके बाद प्रदान किया जाता है, एक पुलिस अधिकारी पर लागू की जा सकती हैं।
>
> (a) मुख्य दंडनीयताएं-
>
> (i) सेवा से निकालना।
>
> (ii) सेवा से हटाना।
>
> (iii) पद में कमी, सम्मानित करना, या समय स्केल में निम्न स्तर पर कमी करना समेत।

(b) लघु दंडनीयताएं-

(i) पदोन्नति को रोकना।

(ii) एक महीने के वेतन तक का जुर्माना।

(iii) इंक्रीमेंट को रोकना, समेतता बार पर रोकना।

(iv) निन्दा करना।"

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित दंडों के अतिरिक्त, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को निम्नलिखित दंड भी दिए जा सकते हैं -

(i) अधिकारी आवास में सीमित करना (इस शब्द में 15 दिन से अधिक नहीं होने वाले क्वार्टर गार्ड, अतिरिक्त गार्ड या अन्य कर्तव्य का समावेश होता है)।

(ii) 15 दिन से अधिक नहीं होने वाली दंड ड्रिल।

(iii) 7 दिन से अधिक नहीं होने वाला अतिरिक्त गार्ड कर्तव्य।

(iv) अच्छे आचरण के भुगतान से वंचित करना।

(3) उप-नियम (1) और (2) में उल्लिखित दंडों के अतिरिक्त, कांस्टेबल को भी थकाने वाले कर्तव्य से दंडित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित कार्यों पर सीमित होगा:

(i) तंबू खड़ा करना;

(ii) नाले खोदना;

(iii) घास काटना, जंगल साफ करना और परेड ग्राउंड से पत्थर उठाना;

(iv) हट्टी और बट्स में मरम्मत करना और लाइनों में समान प्रकार का काम;

(v) हथियार साफ करना।

11. इस मामले में, अनुशासनशील कर्मचारी को सेवा से निकालने की एक महत्वपूर्ण दंडनीयता प्रदान की गई है।

12.मामले के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर और अनुशासनशील कर्मचारी के आचरण को ध्यान में रखते हुए, यह केवल मुख्य दंड ही था जो नियामक 4 के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए था और यह एक लघु दंड नहीं था जैसा कि याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा अभिवचन किया गया । नियम 4 के तहत तीन मुख्य दंड होते हैं, जिनका विवरण निम्न हैं:

(a) मुख्य दंड -

(i) सेवा से निकालना।

(ii) सेवा से हटाना।

(iii) पद में कमी, समेत किसी निम्न स्तर पर कमी करना या समय-मानचित्र में किसी निम्न स्तर पर कमी करना।

13. इसलिए, ध्यान देते हुए कि सेवा रेकॉर्ड में अनुशासनशील कर्मचारी पहले किसी भी मामले में नशे की अवस्था में नहीं पाया गया, हालांकि ऐसे मामले हैं जहां उन्होंने अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहे हैं, अतः यदि दंड को पद में कमी करने के रूप में संशोधित किया जाए तो न्याय के उद्देश्यों की वृद्धि होगी । क्योंकि याचिकाकर्ता के पति PAC में कांस्टेबल थे, जो यतिपीठ हियरार्की में सबसे कम रैंक है, इसलिए उन्हें किसी निचले पद पर कम करना संभव नहीं था। हालांकि, दंड के एक माध्यम के रूप में, याचिकाकर्ता के पति को सबसे कम स्केल में कम किया जाएगा जिसकी गणना दंड की तारीख अर्थात् 04.10.2005 से होगी। परिणामस्वरूप, 04.10.2005 की तारीख वाले आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। यहां तक कि रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पति को 04.10.2005 से 25.10.2012 तक के किसी भी वेतनभोगी की पेंशन की राशि का हकदार नहीं है, जब तक उन्होंने अंतिम रूप से इस दुनिया को अलविदा नहीं कहा, लेकिन यह अवधि पेंशन और अन्य सेवा लाभों के लिए गणना की जाएगी और यह अवधि याचिकाकर्ता के पति की सेवा में छुट्टी नहीं मानी जाएगी और इसके अनुरूप विभाग को कानून के अनुसार उसकी पेंशन और पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवा लाभ तय करने का कार्य करना होगा।

(सुधांशु धूलिया जे.)
20.11.2018